न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 224 / 2022	2022 / 363	22.08.2022	07.02.2023

—उनवान—

1. रामजीलाल पुत्र स्व0 घीसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी धाबाई की तन नारायणपुर तहसील नारायणपुर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये जिलाधीश अलवर जिला अलवर राज0।
2. तहसीलदार थानागाजी हाल नारायणपुर जिला अलवर राज0।
3. ग्राम पंचायत नारायणपुर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री जे.पी. गुप्ता —वकील प्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान घीसा जरिये वारिस रामजीलाल बनाम सरकार वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि विचाराधीन वाद में अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने गलत आधार पर जवाब दावा पेश किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावे को दिनांक 09.10.2002 को खारिज कर दिया गया। मिन प्रार्थी के पिता वादी घीसा का देहांत हो गया है। जिसका मिन प्रार्थी वारिस पुत्र है। इसी हैसियत से प्रार्थी द्वारा आलौच्य आदेश से व्यथीत होकर मान0 राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष एक अपील बउनवानी रामजीलाल बनाम सरकार दायर की गयी। जिसका निर्णय दिनांक 03.01.2004 को पारित कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर प्रकरण पर पुनः सुनवाई कर ग्रम पंचायत को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.08.2022 को मेरे द्वारा एक नजदीकी पेशी मुकर्रर कर सुनवाई हेतु एक प्रा0पत्र पेश किया। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रा0पत्र को ले लिया। लेकिन आदेशिका पर उक्त प्रा0पत्र का कोई जिकर नहीं किया गया और आगामी पेशी दिनांक 12.10.2022 यथावत रख दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद सन 1993 में दायर किया गया। जो दिनांक 09.10.2002 को खारिज होने के बाद दिनांक 03.01.2004 को वापस रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ। जिसे करीब 18 साल का समय हो चुका है। अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात की मौका की स्थिति तबदीक करने व बाउण्डरी वॉल करने को अग्रसर है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में सफल हो गये तो मिन प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। हम प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि रामजीलाल बनाम सरकार न्यायालय में विचाराधीन है। विधिक प्रकिया अपनायी जाकर न्याय के सिद्धांत पर

जिला कलक्टर, अलवर

न्यायालय द्वारा कार्य किया जाता है। प्रार्थी का यह कथन गलत, मनगढंत व निराधार है। समबद्ध आदेशिका लिखी जाती है। प्रा0पत्र नजदीकी पेशी में पूर्ण रूप से विधिक प्रकिया के अनुसार नजदीकी पेशी दी जाती है। पीठासीन अधिकारी के द्वार निष्पक्ष एवं कानूनी प्रकिया द्वारा कार्य किया जाता है। फिर भी उक्त प्रकरण को अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा नजदीकी पेशी प्रा0पत्र का आदेशिका पर ना लेने का कथन किया गया है। उक्त प्रा0पत्र वाद से पृथक रूप से लगाया जाता है। जिसे मूल वाद पर तब तक नहीं लिया जाता है जब तक की उक्त नजदीकी प्रा0पत्र विधिक प्रकिया अनुसार स्वीकार नहीं हो जाता है। वाद को मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वाद में विधिवत् सुनवाई कर वाद का निस्तारण 02 माह में किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जिला कलेक्टर अलवर
(राजस्थान)